

राजस्थान - सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास
 पीठासीन अधिकारी :- मनीष कुमार जाटव आर.ए.एस
 मु.न. - 77/2025


उनवान :- केदार बनाम लेण्ड होल्डर बगै.

-:आदेश:-

आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर.एक्ट का अवलोकन किया गया । वकील प्रार्थी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया उक्त पत्रावली में प्रार्थी के द्वारा "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार बरनाला की ओर से प्राप्त रिपोर्ट / अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सूरगढ	नया 121, पुराना 121	केदार पुत्र गौरी	केदार पुत्र गिराज

यह आदेश आज दिनांक 03.06.2026 को दिया गया ।



 (मनीष कुमार जाटव)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 बामनवास

दिनांक:-

क्रमांक / कोर्ट / 2025 /

प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार बरनाला को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।


 उपखण्ड अधिकारी
 बामनवास